



2026:AHC:128479

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या :19784 वर्ष 2026

विकास बघेल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: गौरव सिंह, पवन कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. आज दाखिल किए गए पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

3. प्रस्तुत जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 388 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 318(3), 316(5), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- जलेसर, जिला- एटा में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक नामजद नहीं है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल सह-अभियुक्त सुमित कुमार को ही नामित किया गया है। आगे यह दलील दी गई है कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सह-अभियुक्त सुमित कुमार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

।



को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है और इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 23143 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2025 के माध्यम से उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। एक अन्य सह-अभियुक्त सोनू कुशवाहा उर्फ सोनू कुमार की गिरफ्तारी पर भी इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 23549 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2025 के माध्यम से रोक लगाई जा चुकी है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का नाम सह-अभियुक्त सुमित कुमार के स्वीकारोक्ति बयान में सामने आया है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के पैरा संख्या 26 में भली-भांति स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कहना है कि आवेदक दिनांक 19.1.2026 से कारागार में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. मैंने पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, आपराधिक इतिहास के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक जमानत दिए जाने का आधार बनाने में सफल रहा है।

8. तदनुसार, प्रस्तुत जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- **विकास बघेल** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन कर लिया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद शुरू होने (2) आरोप विरचित करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

22 जून, 2026

ललित शुक्ला